मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

पत्रांक .... दिनांक ....

निदेशक,
(शोध एवं प्रशिक्षण)
प्राथमिक, माध्यमिक एवं जन शिक्षा विभाग,
नया सचिवालय, पटना – 800001

विषयः दो वर्षीय बी.एड पाठ्यक्रम का संबंधन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पूर्व क्षेत्रीय समिति 15 नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर (उडीसा) के क्षेत्रीय निदेशक के पत्रांक ER236.6.18/ERCAPP 2432/B.Ed 2017/52092 .... दिनांक 04/04/17 के द्वारा स्वीकृत की गयी मान्यता के आलोक में मगध विश्वविद्यालय, बोधगया की अधिषद की दिनांक 05.07.2017 को आहूत बैठक के मद संख्या 50 पर पारित प्रस्ताव के आलोक में ज्ञान भारती कालेज आफ एडुकेशन, रानीगंज, टेकारी गया .... में दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में सत्र 2016-17 से 100 सीटों के साथ नामांकन की स्वीकृति एन. सीटी.ई. की मान्यता जारी रहने तक निम्नलिखित शर्तो के साथ दी जाती है

1. प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी के सम्मुख लिये गये शपथ–पत्र पर महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा शपथ पूर्वक उल्लेख होगा कि एन.सी.टी. ई/राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत निर्देश/बन्धेजों का अनुपालन किया जा रहा है।
2. एन.सी.टी.ई. के मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुरूप महाविद्यालय प्रबंधन ने शिक्षकों की नियुक्ति की है एवं उनकी आधार संख्या एवं पैन संख्या अभिलेखित की जा चुकी है।
3. महाविद्यालय प्रबंधन केन्द्र सरकार द्वारा निर्देशित ई.पी.एफ. की सुविधा कॉलेज में कार्यरत सभी कर्मियों को प्रदान करेगा।

अधिषद् के द्वारा संबंधन की स्वीकृति औपबंधिक होगी एवं उक्त संबंधन बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (यथापरिवर्तित) की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधानों के अधीन होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर नियमानुसार उच्च स्तरीय जाँच दल द्वारा महाविद्यालय की शैक्षणिक तथा प्रबंधकीय गुणवत्ता की जाँच करायी जाती रहेगी, जिसमें महाविद्यालय प्रबंधन पूर्ण सहयोग करेगा। उपर्युक्त जाँच के परिणामों से एन.सी.टी.ई., राज्य सरकार एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी सूचित किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि अधिषद द्वारा पारित प्रस्ताव पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर इसकी सूचना देने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–1. अधिषद की बैठक का कार्यवृत।
2. निरीक्षण प्रतिवेदन की मूलप्रति।
3. संबंधन की शर्त।

विश्वासभाजन
ह०/–
कुलसचिव
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

ज्ञापांक [illegible]/437/17 दिनांक 25/08/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारितः–

1. सचिव/प्रधानाचार्य, ज्ञान भारती कालेज आफ एडुकेशन रानीगंज टेकारी, गया
2. सहायक कुलसचिव, पंजीयन शाखा, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
3. परीक्षा नियंत्रक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना 800001
5. प्रभारी शाखा कार्यालय, राजेन्द्र नगर, पटना।
6. विशेष कार्य अधिकारी (विश्वविद्यालय), राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना।
7. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पूर्व क्षेत्रीय समिति 15 नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर (उडीसा)।

25.08.17
कुलसचिव
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

अधिसूचना

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पूर्व क्षेत्रीय समिति 15 नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर (उडीसा) के क्षेत्रीय निदेशक के पत्रांक ER236.6.18/ERCAPP2432/B.Ed/2017/52092 ....

दिनांक 04.04.17 के द्वारा स्वीकृत की गयी मान्यता के आलोक में मगध विश्वविद्यालय, बोधगया की अधिषद की दिनांक 05.07.2017 को आहूत बैठक के मद संख्या 50 पर पारित प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित ज्ञान भारती कॉलेज आफ एजुकेशन, रानीगंज, टेकारी, गया में दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में सत्र 2016-17 से 100 सीटों के साथ नामांकन की स्वीकृति एन.सी.टी.ई. की मान्यता जारी रहने तक निम्नलिखित शर्तो के साथ दी जाती है:

1. प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी के सम्मुख लिये गये शपथ–पत्र पर महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा उल्लेख होगा कि एन.सी.टी.ई./राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत निर्देश/बन्धेजों (संलग्न : अनुलग्नक – I) का अनुपालन किया जा रहा है। इस संदर्भ में पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अंदर अनुपालन करने की सुनिश्चितता को इंगित कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा विश्वविद्यालय विधि–सम्मत कार्रवाई प्रवृत्त कर सकेगा।
2. एन.सी.टी.ई. के मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुरूप महाविद्यालय प्रबंधन ने शिक्षकों की नियुक्ति की है एवं उनकी आधार संख्या एवं पैन संख्या अभिलेखित की जा चुकी है।
3. महाविद्यालय प्रबंधन केन्द्र सरकार द्वारा निर्देशित ई.पी.एफ. की सुविधा कॉलेज में कार्यरत सभी कर्मियों को प्रदान करेगा।

अधिषद् के द्वारा संबंधन की स्वीकृति औपबंधिक होगी एवं उक्त संबंधन बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (यथापरिवर्तित) की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधानों के आधीन होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर नियमानुसार उच्च स्तरीय जाँच दल द्वारा महाविद्यालय की शैक्षणिक तथा प्रबंधकीय गुणवत्ता की जाँच करायी जाती रहेगी, जिसमें महाविद्यालय प्रबंधन पूर्ण सहयोग करेगा।

माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार

ह०/–

कुलसचिव

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

ज्ञापांक ( ) /436/17 दिनांक 25/08/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारितः–

1. सचिव/प्रधानाचार्य, ज्ञान भारती कॉलेज आफ एजुकेशन, रानीगंज, टेकारी, गया
2. सहायक कुलसचिव, पंजीयन शाखा, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
3. परीक्षा नियंत्रक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना 800001
5. प्रभारी शाखा कार्यालय, राजेन्द्र नगर, पटना।
6. विशेष कार्य अधिकारी (विश्वविद्यालय), राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना।
7. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पूर्व क्षेत्रीय समिति 15 नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर (उडीसा)।

25.08.17

कुलसचिव

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

पत्रांक / GMA/415/16 दिनांक 8/9/16

सेवा में,

सचिव,
प्रस्तावित ज्ञान भारती कॉलेज ऑफ एड्यूकेशन,
रानीगंज, टेकारी, गया।

विषय- संकाय सदस्यों के चयन हेतु विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि माननीय कुलपति महोदय ने आपके प्रस्तावित बी.एड. कॉलेज में संकाय सदस्यों के चयन हेतु चयन समिति में डॉ. जावेद अशरफ, गया कॉलेज, गया को विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत करने की कृपा की है।

विश्वासभाजन
8/9/16

महाविद्यालय निरीक्षक (कला एवं वाणिज्य)
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

8.9.16

(36)

MAGADH UNIVERSITY

BODH-GAYA-824234

Ref No. GI-III-A/197/15 Dated 22/5/15

No Objection Certificate

As the Affiliating Body this University has 'No Objection' to affiliate the applicant institution **Gyan Bharti College of Education, Raniganj, Tekari, Gaya (Bihar)** subject to fulfillment of the conditions for affiliation of this University.

Such affiliation will ensure adoption of the Programme-Curriculum prescribed by the NCTE, conduct of examinations and award of Degrees. The University will also participate in the faculty recruitment process and certify the approved faculty list.

As the Affiliating Body, the University will also monitor the functioning of the institution to ensure its adherence to the Norms and Standards prescribed by NCTE and observance of our conditions of affiliation.

Registrar
(Prof. Sushil Kumar Singh)

Date.............. **Seal**

Registrar
Magadh University
Bodh Gaya - 824 234
Bihar, India

O/C

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

पत्रांक----   दिनांक ....

सेवा में,

1. सी.सी.डी.सी.
   मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
2. प्रो. मोहन प्रसाद श्रीवास्त्व
   स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग,
   मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
3. महाविद्यालय निरीक्षक (कला एवं वाणिज्य)
   मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

विषय- ज्ञान भारती कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन रानीगंज टेकारी, गया के दोवर्षीय पाठ्यक्रम (बी.एड.) के सम्बन्धन हेतु निरीक्षणदल गठन

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि ऊपर अंकित प्रस्तावित बी.एड. कॉलेज का दो वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2017–18 में नव संबंधन हेतु कॉलेज के आधारभूत संरचनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु आपलोगों को निरीक्षक नियुक्त किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि उक्त महाविद्यालय का एन.सी.टी.ई. के मापदण्ड के आलोक में आधारभूत संरचनाओं एवं अन्य दिशा निर्देशों के संबंध में स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन तीन प्रतियों में कॉलेज के प्रधानाचार्य/सचिव द्वारा मापदण्डों की पूर्ति के संबंध में जमा की गयी अभिलेखों के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालर्य में समर्पित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

महाविद्यालय निरीक्षक (कला एवं वाणिज्य)
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

ज्ञापांक GmA/244/17   दिनांक 25/5/17

प्रतिलिपि : प्रधानाचार्य/सचिव, ज्ञान भारती कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन रानीगंज टेकारी गया। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कि वे मापदण्डों/शर्तों के संबंध में सभी अभिलेख तीन प्रतियों में निरीक्षक दल को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें।

25/5/17

महाविद्यालय निरीक्षक (कला एवं वाणिज्य)
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

24.5.17